इकाई 6 संस्था-I : नातेदारी, परिवार और विवाह

इकाई की रूपरेखा

6.0 प्रस्तावना

6.1 नातेदारी

- 6.1.1 नातेदारी का विचार
- 6.1.2 वास्तविक बनाम कल्पित नातेदारी
- 6.1.3 अनाचार निषेध
- 6.1.4 नातेदारी संबद्धता
- 6.1.5 वंशावली

6.2 परिवार

- 6.2.1 परिवारों के प्रकार
- 6.2.2 घर और परिवार
- 6.2.3 परिवार के कार्य

6.3 विवाह

- 6.3.1 विवाह का तात्पर्य
- 6.3.2 विवाह के प्रकार
- 6.3.3 विवाह किससे किया जाए
- 6.3.4 जीवनसाथी पाने के तरीके

6.4 सारांश

6.5 संदर्भ

6.6 आपकी प्रगति की जांच करने के लिए उत्तर

अधिगम का उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत शिक्षार्थी निम्न बिन्दुओं की व्याख्या में सक्षम होंगे :

- नातेदारी की अवधारणा, संबंध और नातेदारी का पता किस प्रकार लगाया जाता है;
- परिवार का गठन, विवाह के आधार पर विभिन्न प्रकार के परिवार और विवाह के उपरांत निवास के नियम; और
- विवाह की धारणा, विभिन्न समाजों में प्रचलित विवाह के प्रकार, कुछ समाज में विवाह के निर्धारण के नियम जो विवाह को निर्धारित करते हैं।

6.0 प्रस्तावना

प्रत्येक मनुष्य समाज से जुड़ा होता है। लोग अपने जन्म के आधार पर समाज के सदस्य बनते हैं। समाज के मानदंड और मूल्य मनुष्य के जीवन को आकार प्रदान करते हैं। इस इकाई में

योगदानकर्त्ता : डॉ. रूखशाना जमान, मानव विज्ञान संकाय, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली।

हम उन संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो हमारे मुख्य समूहों अर्थात नातेदारी, परिवार और विवाह का गठन करते हैं। कोई रिश्ता किस प्रकार आपस में भलीभांति जुड़ा होता है और हमारे जीवन को आकार प्रदान करता है इस बारे में इस इकाई में जानकारी प्राप्त करेंगे।

6.1 नातेदारी

6.1.1 नातेदारी का विचार

आप नातेदारी, परिवार और विवाह की मूल अवधारणाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी शादी समारोह में जाएं। यहां अपने उदाहरण के रूप में हम वर–वधू को ले सकते हैं। हम परिजनों के समूह और उन रिश्तो को पहले पहचान करेंगे जो किसी को जन्म से अथवा विवाह के बाद प्राप्त होते हैं। परिजन समूह की जानकारी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि नातेदारी वह मूल सिद्धांत है जो कि यह निश्चित करता है कि व्यक्ति किसके साथ शादी कर सकता है और कौन इस सीमा से बाहर होता है। नातेदारी किसी परिवार में पीढ़ी, वंशावली, उत्तराधिकार, शक्ति और अधिकार के पैटर्न को भी निर्धारित करती है। नातेदारी के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले कुछ मूलभूत अवधारणाएं और शब्दावली के बारे में भी इस इकाई में चर्चा की जाएगी। वंशावली विधि जो परिवार रूपी वृक्ष अर्थात् फैमिली ट्री को आगे बढ़ाने में सहायता करती है उसके बारे में भी इस अनुभाग में समझाया जाएगा।

आइए विवाह के उदाहरण से हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि नातेदारी होती क्या है। किसी शादी में हम दो परिवारों को देखते हैं और वे परिवार होते हैं दूल्हे का परिवार और दुल्हन का परिवार। शादी में शामिल होने वाले सभी लोग सामान्यतः जन्म से या शादी से दोनों परिवारों में से किसी एक परिवार से जुड़े होते हैं। इन संबंधों को नातेदारी संबंधों के नाम से जाना जाता है। तब सवाल यह उठता है कि हम नातेदारी संबंध किस प्रकार प्राप्त करते हैं। नातेदारी संबंध को हासिल करने के मूल रूप से दो तरीके होते हैं, जिनमें से पहला तरीका जन्म होता है और दूसरा विवाह।

6.1.2 रक्त संबंध बनाम कल्पित नातेदारी

दूल्हा–दुल्हन को उदाहरण के रूप में लेते हुए आइए हम उनके नातेदारी संबंधों को समझने की कोशिश करते हैं। किसी दुल्हन के लिए उसके जन्म से ही संबंधी कौन लोग होते हैं? दुल्हन का परिवार अर्थात उसके माता–पिता और उसके भाई–बहन और उसके पैतृक और मात्री पक्ष के संबंध सगोत्रात्मक संबंध होते हैं। मानव वैज्ञानिक रूप से इन संबंधों को हम संवाहक संबंध कहते हैं। जबकि शादी के बाद दुल्हन के पारिवारिक संबंध पति की ओर से प्राप्त होते हैं और उसके ससुर, सास, देवर,ननद आदि विवाह से बनने वाले समृद्ध संबंध होते हैं। इसी प्रकार किसी दूल्हे के लिए उसकी पत्नी का परिवार उसके रिश्तेदार बन जाते हैं। जब हम खून के संबंधों के बारे में बात करते हैं तो सांस्कृतिक मान्यता की अवधारणा चलन में आती है और यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे संबंध अनुवांशिक रुप से बने हो। किसी को गोद लेने अथवा किसी का पालन पोषण करने या सौतेले भाई–बहन आदि के संबंधों के मामले में यह संबंध सांस्कृतिक रूप से मान्यता प्राप्त खून के संबंध कहे जाते हैं। हालांकि, अनुवांशिक रुप से यह संबंध नहीं होते हैं। इन नातेदारी संबंधों को आमतौर पर वास्तविक नातेदारी के नाम से जाना जाता है।

दक्षिण भारत के नायर जैसे कुछ समाजों में जैविक और सामाजिक पिता एक ही व्यक्ति हो यह जरूरी नही है जैसा कि 'नाइडर एंड गफ' (1974) ने अपने अध्ययन में उल्लेख किया है। नायर समाज की कोई महिला अपनी शादी के उपरांत संबंधम यानी संबंध बनाने के लिए मुक्त होती है। जब कोई नायर महिला गर्भवती होती है तो उसका पति या कोई और प्रेमी दाई को रकम देकर पितृत्व का दावा कर सकता है और सामाजिक पिता के रूप में पहचाना जा सकता है। मानव वैज्ञानिकों ने ऐसे मामलों के लिए माता–पिता के लिए दो प्रकार के पितृत्व में भेद किया है।

- जेनेटिक्स–सांस्कृतिक रूप से मान्यता प्राप्त जैविक मां
- मैटर–सामाजिक माँ
- जेनिटर–सांस्कृतिक रूप से मान्यता प्राप्त जैविक पिता
- पैटर–सामाजिक पिता

आइए हम शादी के उदाहरण की ओर लौटते हैं। क्या यह बात सही होगी कि यदि हम यह कहें कि केवल खून के रिश्ते और शादी से प्राप्त हुए रिश्ते ही शादी में शामिल होने वाले लोग होते हैं। इस बात के बारे में सोचिए। लोगों के इन दो समूहों के अतिरिक्त एक और समूह होता है जो मित्रों पारिवारिक मित्रों के रूप में जाना जाता है जो किसी शादी समारोह में भाग लेता है। हालांकि लोगों की यह समूह खून के रिश्ते से सीधे नहीं जुड़े होते हैं पर वे कई प्रकार से हमारे दैनिक जीवन से घनिष्ठता पूर्वक जुड़े हुए होते हैं। उदाहरण स्वरुप ईसाई समाज में बैपेटिज्म समारोह के लिए अनुष्ठान प्रायोजक बनकर कोई भी बच्चे का गॉड पेरेंट बन सकता है। ईसाई धर्म में गॉड पेरेंट्स अपने मित्र के बच्चे की आध्यात्मिक शिक्षा–दीक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। आवश्यकता की स्थिति में भी बच्चे को शिक्षित करने की भी जिम्मेदारी उठा सकते हैं। नातेदारी के संबंध में यहां यह प्रश्न उठता है कि हम उन्हें यानी गॉडपेरेंट्स को किस समूह में रखते हैं। इस प्रकार अर्जित संबंधों को काल्पनिक संबंध या काल्पनिक नातेदारी के नाम से जाना जाता है जो वास्तविक नातेदारी नहीं होती है फिर भी किसी के जीवन में ऐसी नातेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार के उदाहरण नारीवादी आंदोलन में 'सिस्टर्स' जैसी शब्दावली और दोस्तों के माता–पिता को 'अंकल' और 'आंटी' के रूप में संबोधित करने वाली शब्दावली होती है हालांकि यह रिश्ते खून के रिश्ते से संबंधित नहीं होते हैं।

6.1.3 अनाचार पाबंदी (निषेध)

नातेदारी का मूलभूत नियम दो श्रेणियों सगोत्रात्मक संबंध और आत्मीय यानि समृद्ध संबंध को अलग रखना है। सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि संबंधियों को विवाह से कभी भी नहीं जोड़ा जा सकता और इस मूलभूत नियम को अनाचार निषेध कहा जाता है। विवाह की दृष्टि से माता के साथ पुत्र का और पिता के साथ पुत्री का एवं भाई के साथ बहन के रिश्ते वर्जित माने जाते हैं। हालांकि इस नियम के अपराधों को मिस्र और हवाई में उस समय भी देखा गया है जब शाही परिवारों द्वारा अनाचार निषेध के नियम का पालन नहीं किया गया। वहां पर भाई–बहनों के बीच विवाह आदर्श इसलिए था ताकि सही खून की शुद्धता कायम रह सके। माता–पिता और बच्चों एवं भाई–बहनों की मूलभूत संबंधों के अतिरिक्त अनाचार वर्जन के नियमों में व्यापक विभिन्नता है। जैसे कि हिंदू समाज में कोई व्यक्ति अपने ही गोत्र में विवाह नहीं कर सकता है। गोत्र से तात्पर्य उन सदस्यों से है जो पुरुष पूर्वजों की एक सामान्य रेखा

से अपने स्वयं के वंश का दावा करते हैं। पति और पत्नी का गोत्र एक ही नहीं हो सकता है। यही नहीं उत्तर भारत में एक ही गांव में सदस्यों के बीच शादी नहीं हो सकती है।

6.1.4 नातेदारी संबद्धता

अब तक हमने यह जाना है कि नातेदारी या तो रक्त सबंध से या शादी से अर्जित की जाती है। किसी विशेष समाज द्वारा वंशावली के नियम, नातेदारी संबद्धता द्वारा तय किए जाते हैं। वंशज, परिजन के समूह से संबंध होते हैं। परिजन समूह इस बात पर आधारित होता है कि समाज मातृसत्तात्मक है अथवा पितृसत्तात्मक। किसी मातृसत्तात्मक समाज में माता के माध्यम से वंश का पता लगाया जाता है जबकि पितृसत्तात्मक समाज में पिता के माध्यम से समाज में वंश का पता लगाया जाता है। वह संपत्ति, अधिकार और शक्ति के विरासत के पैटर्न को निर्धारित करते हैं। वंश समूह से संबद्धता सामाजिक मानदंडों पर आधारित होती है चाहे वह समाज मातृसत्तात्मक हो अथवा पितृसत्तात्मक।

6.1.4.1 मातृसत्तात्मक समाज : मातृसत्तात्मक शब्द मात्री-सत्ता शब्द से बना है जिसका अर्थ है मां का अधिकार। वर्तमान समय की समाज में माता का पूर्ण शासन नहीं देखा जाता है। हमारे पास सामान्य तौर पर जो मातृसत्तात्मक समाज है वह अधिकार और शक्ति के स्थान पर और वंशानुक्रम पैटर्न पर आधारित है। उदाहरण के लिए उत्तर–पूर्व भारत के मेघालय के खासी लोगों के बीच वंश की जानकारी मां के माध्यम से प्राप्त की जाती है और पैतृक घर की वंशानुक्रम पद्धति खासतौर से मातृ–रेखा का अनुपालन करती है जिसमें वंशानुक्रम छोटे के पास होता है जिसे काप खड्डू कहा जाता है। सबसे छोटे बच्चे द्वारा वंशानुक्रम को अल्टीमो जेनेस्ट्रेशन के नियम के रूप में जाना जाता है। निर्णय लेने के अधिकार के मामले में यह अधिकार माता के भाई अर्थात मामा के पास होता है। चूंकि, शक्ति और अधिकार मां या महिला से अधिक पुरुषों के पास होता है इसलिए इस शब्द का अर्थ सही मायने में अपने आप में पूरा नहीं है।

6.1.4.2 पितृसत्तात्मक समाजः इस प्रकार का समाज पिता के अधिकार या पितृसत्ता पर आधारित होता है। ऐसे समाजों में वंशावली, वंश व उत्तराधिकार, शक्ति और अधिकार का पता पिता के माध्यम से लगाया जाता है। बेटियां पिता की वंशज होती हैं परंतु विरासत के मामले में शक्ति और अधिकार पिता से पुत्र को ही प्राप्त होता है। जेष्ठाधिकार का नियम व आदर्श है जिससे सबसे बड़ा पुरुष सच्चा वारिस बन जाता है। उसे संपत्ति विरासत में प्राप्त होती है और अपने पिता की मृत्यु के बाद वह परिवार का मुखिया बन जाता है। कुछ पितृसत्तात्मक समाजों में कनिष्ठाधिकार का नियम प्रबल है जिसमें सबसे छोटा पुत्र पैतृक संपत्ति प्राप्त करता है। बर्मा के काचीन में कनिष्ठाधिकार का नियम प्रबल है जिसे छोटे पुत्र का अधिकार भी कहा जाता है।

6.1.5 वंशावली

नातेदारी अध्ययन में वंशावली के रूप में जाना जाने वाला परिवार वृक्ष अर्थात फैमिली ट्री को निर्मित कर दो व्यक्तियों के बीच संबंध स्थापित किया जा सकता है। वंशावली मूल रूप से मां या पिता की ओर से वंशानुक्रम को जानने का आधार होती है। आइए हम वंशावली बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाले प्रतीकों के सिद्धांत को जानते हैं:

1. त्रिकोण किसी पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है

2. वृत्त किसी महिला का प्रतिनिधित्व करता है

3. लिंग अस्पष्टता की स्थिति में बॉक्स या किसी तिर्यग्वर्ग (हीरे जैसा) ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है।

4. दो प्रतीकों के ऊपर कोई रेखा सहोदर रिश्ते को इंगित करती है

5. दो प्रतीकों के बीच एक जैसे (=) संकेत शादी को दर्शाते हैं =

6. शादी के संकेत से कोई क्षैतिज रेखा जब नीचे की ओर जाती है तो यह माता–पिता, बच्चे के संबंध को इंगित करती है।

7. दो प्रतीकों के बीच कोई डॉट अथवा डैश वाली रेखा शादी के अतिरिक्त किसी यौन संबंधों को दर्शाती है। --------

8. प्रतीक के बीच में रेखा किसी मरे हुए व्यक्ति को दर्शाती है।

9. कोई रेखा जो क्षैतिज रूप से समान चिन्ह को काटती है वह संबंध विच्छेद जैसे कि तलाक को दर्शाती है। ≠

10. किसी भी प्रतीक के पास कोई तीर का निशान ईगो (सूचनादाता) को दर्शाता है जो की वंशावली का संदर्भ बिंदु है।

मानव विज्ञानी कुछ प्रतीकों का उपयोग किसी वंश में दूसरे सदस्यों के ईगो(म्हव) के सटीक संबंध का पता लगाने के लिए करते हैं। शब्दावली का संदर्भ नीचे विस्तृत रूप से दिया जा रहा हैरू–

F = पिता, M = मां, P = अभिभावक, B = भाई Z बहन S पुत्र, D = पुत्री, G = भाई बहन, H = पति W पत्नी, E पति/पत्नी, e = बड़ा, y = छोटा, ss समान लिंग, os = विपरीत लिंग, gm = –दादी, gf = दादा zh = बहन का पति Zs = बहन का बेटा, zd = बहन की बेटी, sla = दामाद, dla = बहू (बर्नाड:2007:103,एवं अन्य)

वंशावली का पता लगाने की तरीकों को जानने के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करके यहां एक डायग्राम बनाएं।

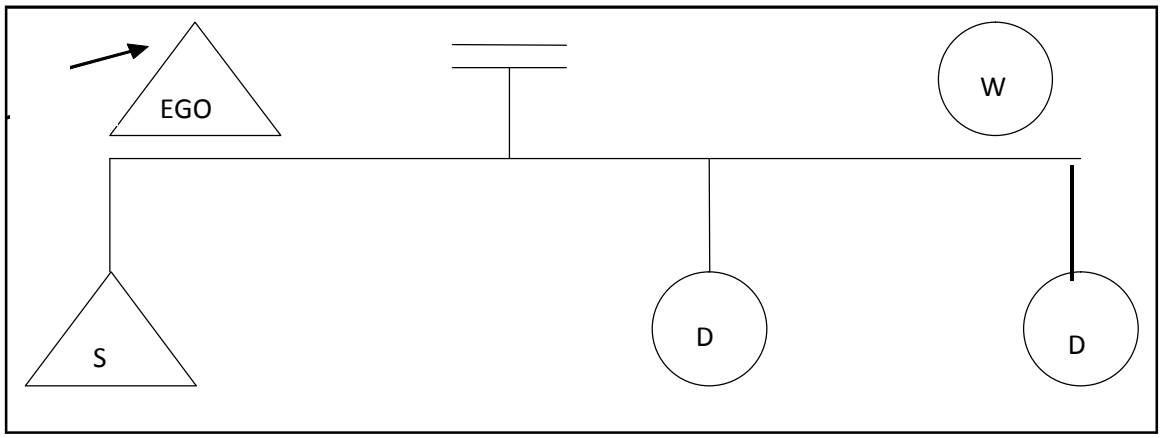

आकृति 1

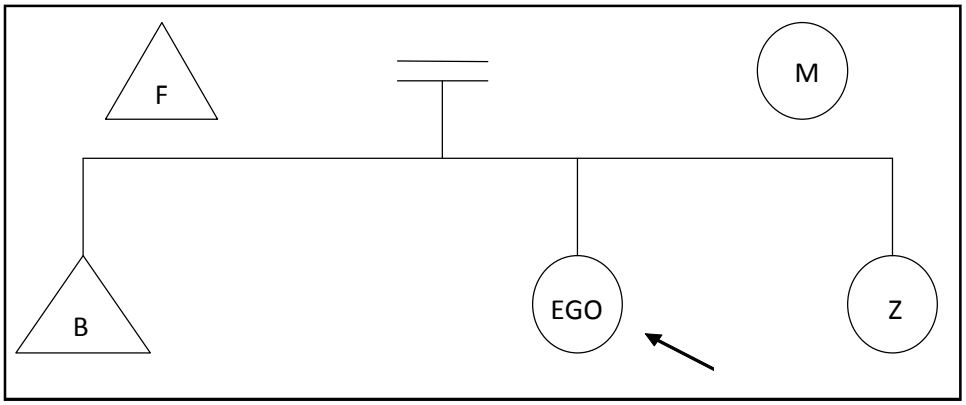

आकृति 2

यदि हम आकृति एक और आकृति दो को देखते हैं तो यह दोनों एक समान दिखाई देते हैं। परंतु जब हम प्रतीकों का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि आकृतियां एक समान नहीं है। यह *ईगो* के कारण होता है। वंशावली में रिश्तो को *ईगो* के माध्यम से पता लगाया जाता है। आकृति एक में ईगो के परिवार में पत्नी, एक पुत्र और दो पुत्रियां शामिल है। आकृति दो में *ईगो* के परिवार में पिता, माता एक भाई और एक बहन शामिल है। अतः भले ही हम एक ही वंशावली को देख रहे होते हैं लेकिन जिस दृष्टिकोण से फैमिली–ट्री का पता लगाया जा रहा है वे दृष्टिकोण और रिश्ते *ईगो* पर आधारित होंगे।

अपनी प्रगति की जांच करें

1. नातेदारी प्राप्त करने के दो मूलभूत विधियां कौन सी हैं

   .....

   .....

   .....

2. खून के रिश्ते से जो संबंध बनता है उसे किस नाम से जाना जाता है

   .....

   .....

   .....

3. विवाह से जो रिश्ते बनते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है

   .....

   .....

   .....

4. वास्तविक नातेदारी को परिभाषित करें

   .....

   .....

   .....

5. काल्पनिक नातेदारी से आपका क्या तात्पर्य है

.....

.....

.....

.....

6. अनाचार निषेध को परिभाषित करें

.....

.....

.....

.....

7. वंश से आप क्या समझते हैं

.....

.....

.....

.....

8. पितृसत्तात्मक समाज से मातृ-सत्तात्मक समाज में वंश किस प्रकार अलग होता है।

.....

.....

.....

.....

9. जेष्ठाधिकार और कनिष्ठाधिकार के नियमों को परिभाषित करें

.....

.....

.....

.....

10. वंशावली से आप क्या समझते हैं।

.....

.....

.....

.....

गतिविधि: नीचे दी गई वंशावली के बारे में पता लगाइए ।

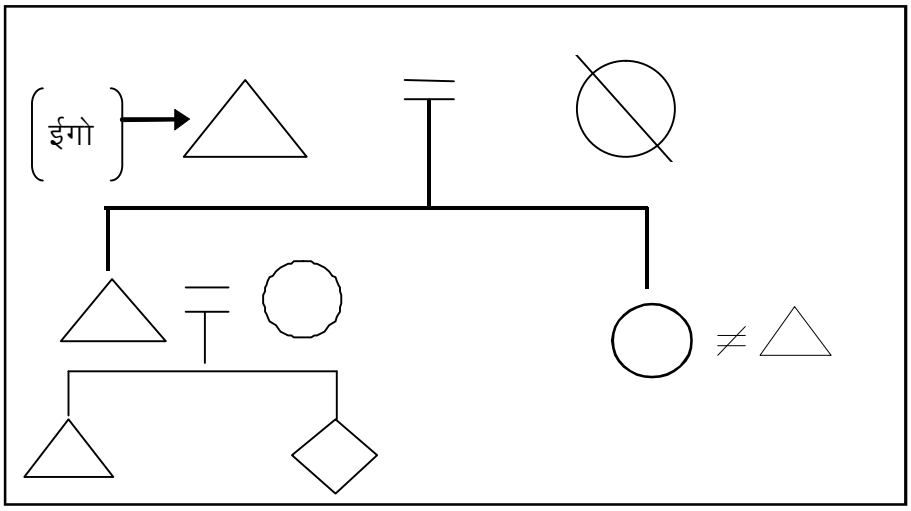

आकृति 3

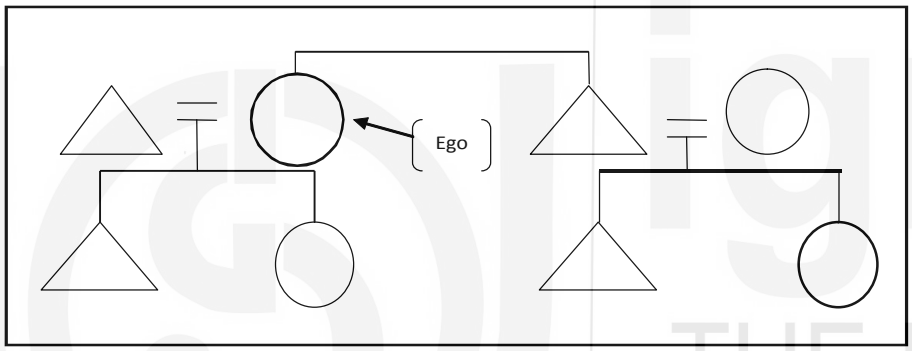

आकृति 4

6.2 परिवार

इस अनुभाग में हम परिवार के अर्थ और विभिन्न समाजों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के परिवारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारी चर्चा घर और परिवार की शब्दावली को जानने समझने से संबंधित होगी। निवास स्थान के आधार पर परिवार के प्रकारों में परिवर्तन को भी यहां चर्चा के अंतर्गत रखा जाएगा।

6.2.1 परिवारों के प्रकार

जब हम परिवार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे मन में हमारा अपना परिवार सबसे पहले आता है। तो आइए इस अनुभाग में परिवार के अर्थ को जानने–समझने के लिए अपने परिवार के सदस्यों को ही सूचीबद्ध करते हैं। आप कोई फैमिली–ट्री बनाने के लिए वंशावली पद्धति का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके बारे में नातेदारी के अनुभाग में वर्णन किया गया था। यदि अब हम फैमिली–ट्री की जांच कर रहे हैं तो हम मूल रूप से अपने में से प्रत्येक ने अपनी माता पिता और भाई बहनों को फैमिली–ट्री में शामिल किया है जिनके साथ हम रहते हैं। हममें से कुछ लोग उनके साथ रहते होंगे जो मातृ या पितृ पक्ष के होते हैं कुछ लोगों ने इस फैमिली–ट्री में अपने दादा–दादी अथवा नाना–नानी को भी शामिल किया होगा। मूल रूप से हम परिवार के रूप में एक ही घर में रहने वाले सभी सदस्यों को सूचीबद्ध करते हैं। किसी परिवार में रहने वाले सदस्यों की यह संरचना एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न होगी।

एक साथ रहने वाले लोग परिवार में शामिल होते हैं जो कि या तो खून के रिश्ते जो संज्ञानात्मक अथवा विवाह के रिश्ते जिन्हें अगनेट कहते हैं वे उससे संबंधित होते हैं। परिवार को दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है जो ओरियंटेशन फैमिली अर्थात अभिविन्यास परिवार तथा प्रोक्रिएशन फैमिली अर्थात उत्पत्ति परिवार। कोई बच्चा ओरियंटेशन परिवार में जन्म लेता है जहां पर वह सामाजीकरण और संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से गुजरता है। विवाह के उपरांत पति–पत्नी से एक परिवार बनता है जिसे प्रोक्रिएशन परिवार अर्थात उत्पत्ति का परिवार के नाम से जाना जाता है जहां पर वे बच्चों को पैदा कर सकते हैं अथवा गोद ले सकते हैं। आइए यहां पर हम विभिन्न प्रकार के परिवारों को जानते समझते हैं जिनके बारे में बर्नार्ड (2007:94–95) ने वर्णन किया है।

- एकल परिवारः ऐसे परिवार में कोई विवाहित जोड़ा और उसके बच्चे शामिल होते हैं जो उनके स्वयं के होते हैं या गोद लिए भी हो सकते हैं।

- एकल अभिभावक परिवारः एकल अभिभावक परिवार जिसमें माता अथवा पिता बच्चों के साथ रहते हैं जो उनके या तो स्वयं के होते हैं या गोद लिए होते हैं ।ऐसा परिवार पति या पत्नी में से किसी एक के अलगाव अथवा तलाक या मृत्यु के कारण बन सकता है।

- मिश्रित परिवारः ऐसे परिवार में मुख्य रूप से कोई व्यक्ति खासतौर से पति और उसकी पत्नी, कभी कभी रखैल और उसके बच्चे शामिल होते हैं। ऐसे परिवार पाए जाते हैं जिनमें बहु विवाह का प्रचलन है।

- संयुक्त परिवारः ऐसे परिवार में भाई और उनकी पत्नियां और उनके बच्चे सभी लोग अपने माता–पिता के साथ एक साथ रहते हैं। सामान्यतः अधिकार पिता के पास होता है। जिन देशों में कृषि मुख्य व्यवसाय है, जैसा कि भारत और चीन वहां ऐसा परिवार आमतौर पर पाया जाता है।

- विस्तृत परिवार–आज के बदलते समाज में इस शब्द में बहुत अधिक अस्पष्टता आ गई है। एक ओर इसका तात्पर्य है कि निकट संबंधी एकल परिवारों का कोई समूह जो एक साथ रहते हैं जबकि शहरी और औद्योगिक समाजों में इसका तात्पर्य ऐसे समूह से है जो एक साथ तो नहीं रहते हैं परंतु वे संपर्क में जरूर रहते हैं।

अब शादी के अपने उदाहरण की ओर पुनः चलते हैं और देखते हैं कि शादी के उपरांत निवास के आधार पर किस प्रकार का परिवार बनता है। अधिकांश समाजों में ऐसे नियम होते हैं जो किसी नवविवाहित जोड़े को शादी के उपरांत निवास करते समय पालन करने पड़ते हैं। यहां हम झा (1995) के अनुसार बताए गए परिवारों के प्रकारों की चर्चा करेंगे जो विवाह के बाद निवास के आधार पर बनते हैं।

- नव स्थानीय निवास– जो किसी नए स्थान पर होता है। कोई नया परिवार जिससे मूल रूप से एकल परिवार के रूप में जाना जाता है जो विवाह के उपरांत केवल पति और पत्नी से बनता है और बाद में उसके बच्चे जो खुद के होते हैं या गोद लिए हुए होते हैं वह इस परिवार का हिस्सा बन जाते हैं।

- पितृ स्थानीय अथवा वाइरी लोकल निवास–जब कोई नवविवाहित जोड़ा दूल्हे के पिता के घर में निवास करता है तो ऐसे निवास को पितृ स्थानीय या वाइरी लोकल निवास के रूप में जाना जाता है।

- मातृ स्थानीय अथवा ऑक्सोरीलोकल निवास–यह उस समय बनता है जब युगल शादी के उपरांत किसी मात्तृ स्थानीय परिवार में निवास करता है अर्थात दुल्हन के परिवार के साथ।

- अवकालिक (एवोक्यूलोकल) निवास–कुछ समाजों में जैसे कि घाना की अशंटी समाज में विवाह के बाद कोई जोड़ा दूल्हे की मां के भाई के परिवार या मामा के घर में रहता है जैसा कि मेयर फोर्टिज द्वारा अपने अध्ययन में बताया गया है।

- परिवेश (एंबीलोकल) या द्विध्रुवीय (बाईलोकल) निवास–जब किसी विवाहित जोड़े के पास पति या पत्नी के रिश्तेदारों के साथ रहने का विकल्प मौजूद होता है तो ऐसे निवास को एंबीलोकल या बाईलोकल निवास के रूप में जाना जाता है।

- नैटो लोकल निवास–शादी के बाद जब कोई युगल एक साथ नहीं रहते हैं अपितु अपने परिवार के साथ रहते हैं तो ऐसे निवास को नैटोलोकल निवास के रूप में जाना जाता है। मेघालय की गारो समुदाय में पति रात में पत्नी से मिलने जाता है और सूर्योदय से पहले वह उस स्थान को छोड़ देता है। बच्चों के लिए अधिकार मां के भाई अर्थात मामा के पास होता है जो एक पुरूष होता है और जो अपनी बहन के बच्चों के लिए जिम्मेदार होता है ना कि अपने बच्चों के लिए।

6.2.2 घर और परिवार

कई बार घर और परिवार शब्द के बीच भ्रम होता है। तो आइए सबसे पहले घर शब्द को जानने समझने का प्रयास करते हैं। हविलेंड (2003) द्वारा घर को मूल आवासीय इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है जहां आर्थिक उत्पादन, खपत, उत्तराधिकार, बच्चों का पालन पोषण और आश्रय की व्यवस्था तथा अन्य चीजों का कार्यान्वयन किया जाता है। अक्सर घर के सभी सदस्य एक सामान्य चूल्हे को साझा करते हैं। आइए अमेजन के मुंडुरुक का उदाहरण लेते हैं जो किसी घर के आस–पास खुद को व्यवस्थित करते हैं। उनके पास एक अद्वितीय प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत 13 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुरुष और लड़के एक साथ रहते हैं जबकि 13 साल से कम उम्र की सभी महिलाएं और बच्चे एक साथ रहते हैं। (हैविलैंड, 2003) यहां पर हम यह देखते हैं कि घर किसी परिवार का विस्तार है। कोई परिवार एक घर हो सकता है लेकिन कोई घर एक परिवार नहीं हो सकता है। इस कथन को और अधिक स्पष्ट करने के लिए आइए वर्तमान समय की स्थिति से एक और उदाहरण को लेते हैं। हम आजकल अनेक छात्रों को अपने मूल स्थान से बाहर निकलते हुए या किसी दूसरे शहर में जाकर बसते हुए अथवा उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाते हुए देखते हैं। इन छात्रों का सामान्यतः बहुत कम बजट होता है जिसके कारण वह सभी छात्र एक साथ किसी आवास को साझा करना पसंद करते हैं। अतः दो से तीन छात्र कोई स्थान लेते हैं, कहने का अर्थ है कि घर लेते हैं और घर को साझा करते हैं और एक साथ भोजन करते हैं। इस प्रकार वे लोग एक चूल्हे को साझा करते हैं। परंतु जरूरी नहीं है कि वे सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य हों अपितु विभिन्न परिवारों से संबंधित होते हैं।

6.2.3 परिवार के कार्य

एक सामाजिक समूह के रूप में परिवार की अवधारणा सार्वभौमिक होती है और इसका अस्तित्व सभी संस्कृतियों में देखा जाता है। अतः समाज में एक स्थान यानी दर्जा रखने वाले

परिवार की कुछ जिम्मेदारियां और कार्य भी होते हैं। परिवार के मूलभूत कार्य निम्नानुसार दिए गए हैं:

6.2.3.1 जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति

एक संस्था के रूप में परिवार जैविक आवश्यकताओं को नियमित करता है जो कि सभी मनुष्यों की प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं। परिवार, यौनाचार के मानदंडों को भी परिभाषित करके उसे प्रसारित करने में सहायता करता है कि किसके साथ यौनाचार किया जा सकता है और किसके साथ यौनाचार वर्जित है।

6.2.3.2 प्रजनन

जैसा कि हमने यह सीखा है कि कोई बच्चा किसी परिवार में ही पैदा होता है। जैसे ही कोई बच्चा किसी परिवार में पैदा होता है वह परिवार की व्यवस्था के अनुसार कुछ सामाजिक स्थित, मान्यताओं, भाषा, माता–पिता और परिजनों की प्रणाली का हकदार बन जाता है।

6.2.3.3 आर्थिक

एक सामाजिक समूह के रूप में कोई परिवार अपने सदस्यों की जरूरी आवश्यकता जैसे, भोजन, कपड़ा और मकान को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसी परिवार के सभी सदस्य सहयोग करते हैं और काम को आपस में बांट लेते हैं तथा परिवार के पालन पोषण की दिशा में योगदान करते हैं।

6.2.3.4 शिक्षात्मक

परिवार बच्चे का पालन–पोषण करता है और संस्कृतिकरण तथा समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से बच्चे के गुणों में वृद्धि करता है ताकि बच्चा व्यस्क होने पर सभी बातों का सामना कर सके। हम वर्तमान समय में परिवार के मामले में भी नए बदलाव को देखते हैं। लिव इन रिलेशनशिप ऐसी ही एक अवधारणा है जहां पार्टनर या जोड़े बिना शादी के एक साथ रहते हैं। इस प्रकार के रिश्तो को कानून द्वारा वैध माना जाता है और यदि कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे कानून द्वारा वैध माना जाता है। भारत में फैमिली कोर्ट में लिव इन रिलेशनशिप के घरेलू हिंसा के मामले निपटाए जा रहे हैं।

अपनी प्रगति की जांच करें

11. परिवार को किन दो व्यापक श्रेणियों में बांटा जा सकता है।

    .....

    .....

    .....

12. परिवार के विभिन्न प्रकार कौन से होते हैं।

    .....

    .....

    .....

13 विभिन्न प्रकार के परिवारों के आधार पर विभिन्न प्रकार के आवासों का उल्लेख करें ।

.....

.....

.....

6.3 विवाह

लगभग सभी प्रकार के मानव समाजों में विवाह की अवधारणा पाई जाती है। हालांकि, सभी समाजों में विवाह के पैटर्न, अनुष्ठान और रीति–रिवाज एक दूसरे से अलग अलग हो सकते हैं। यह बहस आज भी जारी है कि विवाह कब अस्तित्व में आया और यह समाज का अभिन्न अंग कब बन गया। प्रारंभिक सामाजिक चिंतकों ने यह अनुमान लगाया है कि मानव अस्तित्व के प्रारंभिक चरणों में वह संकीर्णता की स्थिति में रहता था जहां किसी व्यक्ति का विवाह नहीं होता था, कोई नीति नियम नहीं थे। सभी पुरुषों का सभी महिलाओं के साथ यौनाचार करने का अधिकार था और इस प्रकार पैदा हुए बच्चे बड़े पैमाने पर समाज की जिम्मेदारी होते थे। इसने समय के साथ साथ सामूहिक विवाह और अंत में एकल विवाह की प्रथा को शुरू किया। इसलिए इस अनुभाग में पहले हम विवाह की अवधारणा को परिभाषित करने की कोशिश करेंगे और फिर विभिन्न समाजों में प्रचलित विभिन्न प्रकार के विवाहों को जानेंगे और समझेंगे। फिर उन मानदंडों और नियमों की चर्चा करेंगे जो विवाह के लिए एक जीवन साथी की तलाश हेतु बनाए गए हैं।

6.3.1 विवाह को समझना

विवाह का तात्पर्य क्या होता है? आइए हम इस चर्चा की शुरुआत नोट एंड क्यूरी (1951 :111) में मानव विज्ञान से संबंधित टिप्पणियों और सवालों से करते हैं जो विवाह के बारे में दिए गए हैं– "विवाह किसी महिला और पुरुष के बीच का एक मिलन होता है और इसके कारण किसी महिला से पैदा होने वाले बच्चे दोनों भागीदारों की वैध संतान के रूप में जाने जाते हैं।" इसलिए मूल रूप से विवाह एक प्रकार की मंजूरी है जिसे समाज द्वारा किसी पुरुष और महिला के लिए संबंध स्थापन हेतु स्वीकार किया जाता है और उन्हें बच्चों को पैदा करने या गोद लेने के लिए सामाजिक पवित्रता प्रदान की जाती है। हालांकि आइए अब हम यह देखते हैं कि क्या वर्तमान समय में यह परिभाषा सही है और समाजों में प्रचलित विभिन्न प्रकार के विवाहों को समझने की कोशिश करते हैं। इसे जानने के लिए आइए विवाह के प्रकारों के साथ इसे शुरू करते हैं जो समाज में प्रचलित हैं।

6.3.2 विवाह के प्रकार

मोटे तौर पर हम विवाह को दो श्रेणियों में बांट सकते हैं– पहली श्रेणी है एकल विवाह और दूसरी श्रेणी है बहु–विवाह।

6.3.2.1 एकल विवाह

एकल विवाह केवल एक साथी अथवा एक व्यक्ति से विवाह करने का अनुमोदन होता है। एकल विवाह को क्रमिक एकल विवाह और गैर क्रमिक एक विवाह में विभाजित किया जा सकता है।

- क्रमिक एकल विवाह का संबंध एक ऐसी स्थिति से है जहां किसी आदमी की पत्नियों की श्रंखला एक के बाद एक आगे बढ़ती जाती है लेकिन यह श्रंखला एक समय में केवल एक ही पत्नी तक रहती है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में जहां तलाक की दर अधिक है परंतु केवल मोनोगैमी अर्थात एकल विवाह वैध है, क्रमिक मोनोगैमी को व्यापक रूप से देखा जाता है।

- गैर क्रमिक एकल विवाह (मोनोगैमी)– भारत में हिंदू समाज गैर –क्रमिक मोनोगामी से संबंधित है जहां किसी आदमी की ताउम्र एक ही पत्नी होती है। ऐसे समाजों में तलाक की दर कम होती है और यह पसंदीदा मानदंड है।

6.3.2.2 बहुविवाह

यह एक प्रकार का वह विवाह होता है जिसमें एक से अधिक पार्टनर यानि साथी होते हैं।

बहुविवाह तीन प्रकार का होता है जो निम्नानुसार है:

- **बहुपत्नीत्व:** यदि कोई पुरुष एक से अधिक महिलाओं से विवाह करता है तो उसे बहुपत्नीत्व के रूप में जाना जाता है। किसी व्यक्ति की पत्नियां यदि आपस में बहनें होती हैं या संबंधी होती हैं तो इसे सोरोरल बहु पत्नीतत्व के रूप में जाना जाता है। कई इस्लामिक देशों में इस प्रकार के विवाह देखे जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के जुलू में बहुपत्नीत्व की प्रथा प्रचलित है। जब पत्नियां संबंधित नहीं होती हैं तो इसे गैर सोरोरल बहु पत्नीतत्व के रूप में जाना जाता है। कोरोमो द्वीप में ऐसे विवाह प्रचलित हैं।

- **बहुपतित्व** : जब किसी महिला का विवाह एक से अधिक पुरुषों से होता है तो उसे बहुपतित्व के रूप में जाना जाता है। यदि पति, भाई या वंश के किसी भाई की भांति खून के रिश्ते से संबंधित होता है तो ऐसी विवाह को फ्रेटरनल अथवा एडल्पिक बहुपत्नीत्व कहा जाता है। भारतीय हिंदू समाज में फ्रेटरनल पोलीऐंड्री अथवा एडल्पिक विवाह का उदाहरण प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत में देखने को मिलता है जहां पांच भाइयों यानी पांडवों की शादी राजकुमारी द्रौपदी से हुई थी। आज भी तिब्बत और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में सामाजिक रूप से स्वीकृत प्रथा के रूप में बहुपतित्व की प्रथा देखने को मिलती है जब पत्तियों का खून का संबंध नहीं होता है तो ऐसी विवाह को गैर –फ्रेटरनल बहुपत्नीतत्व के रूप में जाना जाता है। अत्यंत दुर्लभ मामले भी पाए जाते हैं जैसा कि तिब्बतियों के समाज में है जहां पर पिता और भाई, पति भी बन जाते हैं जिसे पारिवारिक बहुपत्नीत्व कहा जाता है। इस प्रकार के विवाह के लिए कई अटकलें हैं और उनमें से एक कारण युवतियों की कम आबादी और अधिक ऊंचाई से संबंधित है जिसमें वह रहते हैं। यहां अधिक ऊंचाई का तात्पर्य हाई एल्टीट्यूड से है। यदि किसी महिला को कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों से पत्नी के रूप में अपनाया जाता है तो उसके लिए ऐसे वातावरण में रहना मुश्किल होता है।

- **बहु विवाह** : कई पुरुषों का विवाह कई महिलाओं से अथवा आसान शब्दों में यह कहा जा सकता है कि किसी पुरुष का एक ही समय में कई पत्नियां होती हैं और एक महिला के कई पति होते हैं जिसे बहुविवाह (पॉलीजेनैंड्री) के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के विवाह पहले भारत के नीलगिरी पर्वत श्रंखला के टोडा समुदायों और जौनसार बावर के खासा लोगों में प्रचलित थे।

हाल के दिनों में विवाह की एक तीसरी श्रेणी समलैंगिक विवाह या समान लैंगिकता वाले लोगों का विवाह के रूप में उभर कर सामने आया है। इस प्रकार के जोड़े में एक ही लिंग के दो पुरुष या दो महिलाएं शामिल होते हैं। इस प्रकार के विवाह में समाज, जोड़ों को कानूनी रूप से किसी बच्चे को गोद लेने या सेरोगेसी के माध्यम से बच्चा पाने की अनुमति देता है।

उपर्युक्त प्रकार के विवाहों से हम यह समझ सकते हैं कि विवाह की संस्था के अलग अलग पैटर्न होते हैं। हम यह जान चुके हैं कि कुछ समाजों में विवाह में एक से अधिक जोड़ें शामिल हो सकते हैं जबकि कुछ समाजों में समान लिंग वाले जोड़े भी आपस में विवाह कर सकते हैं। तो यह मानें कि सिर्फ किसी जोड़ें अथवा लोगों के किसी समूह को एक साथ रहने और बच्चों को पैदा करने या अपनाने के लिए प्रदान की गई सामाजिक मंजूरी ही विवाह है।

6.3.3 विवाह किससे किया जाए?

अधिकांश समाजों में नातेदारी का नियम मौजूद होता है जो यह निर्धारित करता है कि विवाह किससे करना है और किस से नहीं। जीवन साथी का चयन करते समय निर्धारित या अधिमान्य मानदंडों का ही पालन किया जाता है। शादी के लिए जब श्रेणी के कुछ सदस्य उपलब्ध होते हैं तब भी इन नियमों और मानदंडों का सख्ती से अनुपालन किया जाता है। ऐसे मानदंडों को निदेशात्मक मानदंड के रूप में वर्णित किया जाता है। सगोत्र विवाह और विजातीय विवाह के नियम इस समूह के अंतर्गत आते हैं।

6.3.3.1 सगोत्र विवाह

एक ही आस्था या धर्म के मानने वालों के विवाह हैं। उदाहरण के लिए हिंदू एक जाति समूह में विवाह करते हैं और जनजातियां अपने समुदाय यानी आदिवासी समुदाय में ही शादी करते हैं। हिंदू समाज में अनुलोम और प्रतिलोम के नियम भी प्रचलित हैं। वैदिक काल में अनुलोम या हाइपरगैमी का नियम प्रचलित था जहां किसी उच्च जाति का कोई लड़का अपनी ही जाति के या अपने से तीन श्रेणी नीचे तक की लड़की से शादी कर सकता था। हालांकि ऐसे मामलों में विवाह की स्थिति पूर्ववत बनी हुई है और केवल उनके बच्चों को ही पिता का दर्जा प्राप्त होता है। दूसरी ओर प्रतिलोम या हाइपोगैमी नियम में किसी निम्न जाति का पुरुष उच्च जाति की लड़की से विवाह कर सकता है, हालांकि ऐसे मामलों में लड़की अपने उच्च जाति का दर्जा खो देती है और पैदा होने वाले बच्चे अपने पिता की जाति से ही पहचाने जाते हैं। प्रतिलोम विवाह की अनुमति नहीं थी और समाज ने इसका प्रतिरोध किया।

6.3.3.2 विजातीय विवाह

समूह से बाहर के समूह में की गई शादी है। हिंदू समुदाय में एक ही जाति समूह में विवाह किया जाता है परंतु दूल्हा और दुल्हन के गोत्र एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। उन समाजों में जहां सगोत्र विवाह की प्रथा प्रचलित है, समानांतर चचेरे भाई–बहन की शादी अधिमान्य है वहां पर। ऐसे समाजों में पहले चचेरे भाई–बहन के बीच शादी ब्याह की अनुमति प्रदान की गई है। वंशावली विजातीय विवाह के नियमों के आधार पर विभिन्न वंशों से चचेरे भाई पसंद किए जाते हैं। विपरीत लिंग के भाई बहनों के बच्चों को क्रॉस–कजिन कहा जाता है। जबकि एक ही लिंग अर्थात भाई–भाई के भाई–बहनों के बच्चे समानांतर चचेरे भाई कहे जाते हैं। बहुत से मुस्लिम समाजों में एक व्यक्ति अपने पिता के भाई की बेटी से विवाह करता है जिसे समानांतर चचेरे भाई की शादी के रूप में जाना जाता है जो कि विजातीय विवाह का बहुत ही दुर्लभ स्वरूप है। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी तुर्क के कुर्द लोगों में समानांतर चचेरे भाई की शादी की प्रथा आज भी जारी है।

6.3.3.3 अधिमान्य विवाह

क्रॉस–कजिन विवाह उन समाजों में अधिमान्य मानदंड है जहां बहिर्गमन का नियम का पालन किया जाता है। किसी व्यक्ति के वंश के बारे में उसकी मां या पिता के पक्ष के माध्यम से पता लगाया जाता है। अगर पिता के माध्यम से वंश का पता लगाया जाता है तब उसकी बुआ यानी कि पिता की बहनों की बेटी के साथ विवाह पसंदीदा प्राथमिकता होती है और जब वंश का मां के माध्यम से पता लगाया जाता है तो विवाह के लिए पसंदीदा आदर्श मां के भाई की बेटी होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी मां के भाई की बेटी से विवाह करता है तो उसे मेट्रीलेटरल क्रॉस कजिन विवाह कहा जाता है जबकि यदि वह अपने पिता की बहन की बेटी से विवाह करता है तो इसे पैट्रीलेटरल क्रॉस कजिन विवाह कहा जाता है। उन समाजों में जहां अधिकार माता के भाई के पास होता है वहां मेट्रीलेटरल क्रॉस कजिन विवाह पसंदीदा मानदंड होता है।

उपरोक्त पूर्व निर्धारित और अधिमान्य विवाह के अतिरिक्त देवर विवाह (लेविरेट) और साली विवाह(सोरोरेट) कभी–कभी विधवाओं और विधुरों के लिए निर्धारित मानदंड कुछ समुदायों में निर्धारित किए जाते हैं। लेविरेट, विवाह का वह रूप है जिसमें बड़े भाई की मृत्यु के बाद छोटे भाई की शादी विधवा से कर दी जाती है जो छोटे भाई की बाध्यता होती है। लेविरेट शब्द लैटिन शब्द लेविर से लिया गया है जिसका अर्थ है पति का भाई। यह एक प्रकार का ऐसा विवाह होता है जो अक्सर उन समाजों में देखा जाता है जिनमें विजातीय विवाह प्रचलित नहीं होता है। दूसरी ओर सोरोरेट विवाह वह प्रथा है जिसमें कोई विधुर अपनी मृत पत्नी की बहन से विवाह करता है।

6.3.4 जीवन साथी पाने के तरीके

जीवनसाथी पाने के तरीके अलग–अलग समाजों में अलग–अलग प्रकार के होते हैं। हिंदू समाज में हाल के दिनों तक पारिवारिक रजामंदी से (अरेंज्ड) अथवा बातचीत विवाह (नेगोशिएशन) से विवाह होते थे जिन्हें आदर्श विवाह माना जाता था। किसी बिचौलिए के माध्यम से दूल्हा– दुल्हन के माता–पिता द्वारा कोई जीवनसाथी तलाश किया जाता था। ऐसे विवादों में दुल्हन धन –दहेज लाती थी। दुल्हन के धन को दुल्हन के परिवार की ओर से दूल्हे को शादी के दौरान दिए गए उपहार के रूप में देखा जाता था। उपहार वस्तुओं, मुद्राओं या पशुधन जैसी चल संपत्ति के संदर्भ में होता था। अधिकांश चरवाहों और अर्ध घुमंतु समूहों में इसे दुल्हन के घर में श्रम के नुकसान के रूप में देखा जाता है। ऐसे समाजों में परिवार का प्रत्येक सदस्य श्रम के मामले के अनुसार एक प्रकार की संपत्ति होता है। दूसरी ओर दहेज, दुल्हन के घर परिवार से दूल्हे के घर परिवार के लिए वस्तुओं और मुद्राओं का हस्तांतरण है। हिंदू समाज में पहले यह एक प्रचलित आदर्श था। भारतीय सिविल कानून के तहत 1961 में दहेज की परंपरा को प्रतिबंधित कर दिया गया और तदुपरांत भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी और 498 ए के तहत महिलाओं को दहेज संबंधी उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और यहां तक की मौत से बचाने के लिए यह सारे कदम उठाए गए।

आदान–प्रदान द्वारा विवाह भी बातचीत प्रणाली के द्वारा विवाह का एक हिस्सा है। यह दुल्हन की धन संपत्ति के स्थान पर दुल्हन को ही दहेज मानता है। दो राजाओं अथवा दो समूहों के बीच युद्ध को खत्म करने के लिए प्राचीन समय में आदान–प्रदान द्वारा विवाह भी प्रचलित थे जिसे गठबंधन के रूप में जाना जाता था।

उत्तर–पूर्व भारत की कुछ जनजातियों में सेवा द्वारा यानी काम के द्वारा विवाह करने की प्रथा पाई जाती है जहां पर दूल्हा–दुल्हन को वस्तु या मुद्राओं के माध्यम से भुगतान ना करके वह उसके घर पर सेवा यानी काम करता है और इस प्रकार वह भुगतान करता है।

कब्जा करके विवाह औपचारिक ढंग से या बलपूर्वक किया जा सकता है। पहले मामले में जैसा कि भारत में नागालैंड के नागाओं के बारे में मानवविज्ञानी वेरियर ने यह उल्लेख किया है कि छापा मारने के दौरान पुरुषों ने गांव की उन महिलाओं को पकड़ लिया जो विवाह करने योग्य थीं और उनसे या तो शादी कर ली या उन्हें बंधुआ मजदूरों के रूप में अपने खेतों में काम करने के लिए रखा। ऐसी स्थिति को भौतिक रूप से कब्जा करने के रूप में वर्णित किया गया है। औपचारिक रूप से किसी लड़की को सामुदायिक मेले अथवा उत्सव में किसी लड़की के प्रस्ताव पर शादी करने के इच्छुक लड़के द्वारा पकड़ लिया जाता है और अपने इरादे को उसका हाथ पकड़ कर इजहार किया जाता है या उसकी मांग में सिंदूर भरकर उसे पहचान दी जाती है, जैसा कि बिहार के खारिया और बिरहोर में होता था।

घुसपैठ करके विवाह एक प्रकार का वह विवाह होता है जिसमें कोई लड़की किसी लड़के के घर में जबरजस्ती चली जाती है और उससे अपने जीवनसाथी के रूप में स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है। इस प्रकार की शादियां बिहार के बिरहोर और हो जाति तथा मध्य प्रदेश के कमार जाति में देखी जाती थीं।

परीक्षण द्वारा विवाह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूल्हे को अपनी दुल्हन का दावा करते हुए अपने वीरता और शौर्य को सिद्ध करना होता है। हाल के समय तक इस प्रकार के विवाह भारत में कई समाजों में पाए जाते थे। जैसा कि राजस्थान की भील जाति और नागालैंड के नागा लोगों में परीक्षण द्वारा विवाह का उल्लेख किया गया है। दो महाकाव्य महाभारत और रामायण में भी इस प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है।

पलायन द्वारा विवाह कुछ समाजों में एक प्रथागत विवाह है जबकि यह दूसरों में नहीं देखने को मिलता है। कुछ समाजों में विवाह के लिए अनुष्ठानों की लागत ज्यादा होती है और कई परिवारों के लिए लागत का वहन करना कठिन होता है। ऐसे समाजों में पलायन द्वारा विवाह एक प्रथा के रूप में उभर कर सामने आया है। असम की कारबी आंगलोंग जिले के कारबी लोगों में इस प्रकार के विवाह काफी प्रचलन में थे। अन्य मामलों में विवाह योग्य होने पर विवाह उस समय तक नहीं होता है जब तक भावी दूल्हा या दुल्हन के परिवार में से कोई भी शादी की मंजूरी नहीं देता है अथवा जब किसी अरुचिकर साथी के साथ शादी हो जाती है।

वर्तमान युग में जीवनसाथी को प्राप्त करने के तरीकों का सख्ती से पालन नहीं किया जाता है। आज के महानगरीय शहरों में शिक्षा, वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण के कारण प्यार के खेल देखने को मिलते हैं जहां लड़का और लड़की खुद ही यह तय करते हैं कि वह किससे शादी करेंगे और किससे नहीं। फिर भी भारत के कुछ हिस्सों में जाति की कठोरता अभी भी ऑनर किलिंग के रूप में देखी जाती है जो हाल के दिनों में एक प्रमुख सामाजिक चिंता का विषय बन कर उभरा है। लिव इन रिलेशनशिप की प्रणाली जहां कोई लड़का और लड़की या समलैंगिक लोग शादी के बिना एक साथ रहने वाले जोड़े के रूप में वर्तमान समाजों में बड़े पैमाने पर सामने आ रहे हैं।

अपनी प्रगति की जांच करें

14 विवाह के दो व्यापक विभाजन कौन–कौन से हैं।

.....

.....

.....

15 एकल विवाह के प्रकारों का नाम बताइए।

.....

.....

.....

16 बहुविवाह की विभिन्न श्रेणी या कौन सी हैं।

.....

.....

.....

17. सगोत्र विवाह को परिभाषित करें।

.....

.....

.....

18. विजातीय विवाह को परिभाषित करें

.....

.....

.....

6.4 सारांश

जैसा कि हमने अब तक यह अध्ययन किया है कि नातेदारी जैविक संबंधों की सामाजिक मान्यता है जिसमें गोद लेना भी शामिल है। परिवार और विवाह, नातेदारी से घनिष्ठता पूर्वक जुड़े हुए हैं। वर्तमान समय में नातेदारी, अध्ययन, विवाह और परिवार प्रणालियों में परिवर्तन के साथ एक चुनौती बन गया है। आज किसी विशेष समाज या संस्कृति के लिए विवाह पद्धति को इंगित करना बहुत कठिन है क्योंकि आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण की लहरों ने लगभग सभी समाजों को छू लिया है। मानव विज्ञानी वर्तमान समय में परिवार और विवाह में परिवर्तन से अत्यधिक चिंतित हैं, जो नातेदारी तथा नातेदारी शब्दावली के उपयोग में बदलाव लेकर आया है। इसी तरह पुनर्विवाह के कारण बच्चों के पास माता–पिता और दादा–दादी के एक से अधिक सेट होते हैं और इससे नातेदारी की शब्दावली में भी परिवर्तन हो जाता है।

6.5. संदर्भ

बर्नार्ड, एलन. (2007). *सोशल एन्थ्रोपोलोजी : इन्वेस्टिगेटिंग ह्यूमन सोशल लाइफ.* नई दिल्ली : वीवा बुक्स प्राइवेट लिमिटेड.

एवांस–प्रिचर्ड, ई.ई. (1951). *किनशिप एंड मैरिज अमंग द नुएर.* ऑक्सफोर्ड : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

एवांस–प्रिचर्ड, ई.ई. (1956). *नुएर रिलिजन.* ऑक्सफोर्ड : क्लेरंडन प्रेस

फेरारो, गेरी एंड सुसन आन्द्रेअत्ता. (2010). *कल्चरल एन्थ्रोपोलोजी: एन एप्लाइड पर्स्पेक्टिव.* आठवां संस्करण. यूएसए : वर्ड्सवर्थ सेंगेज लर्निंग.

फोर्ट्स, मेएर. (1945). *द डाइनमिक्स ऑफ क्लेंशिप अमंग द टल्लेंसी.* ऑक्सफोर्ड : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

फॉक्स, रॉबिन. (1967). *किनशिप एंड मैरिज.* एन एंथ्रोपोलोजिकल प्रस्पेक्टिव. बाल्टीमोरः पेंग्विन.

गोफ, केथ्लीन. (1959). *द नायर्स एंड द डेफिनेशन ऑफ मैरिज.* "जर्नल ऑफ द रॉयल एंथ्रोपोलोजिकल इन्स्टिट्यूट, 89: 23–34. लन्दनः वाइली–ब्लॅकवेल पब्लिशर.

हेवीलैंड, डब्ल्यू.ए. (2003). *एन्थ्रोपोलोजी.* बेल्मॉट, सीए : वर्ड्सवर्थ.

हूटेर. मार्क, संपा. (2003). *द फेमिली एक्सपीरियेन्स : ए रीडर इन कल्चरल डाइवर्सिटी.* बोसटनः अल्यं एंड बेकन.

मेर, लूसी. (1977). *एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एन्थ्रोपोलोजी.* ऑक्सफोर्ड : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

मजूमदार, डी.एन. एंड टी.एन. मदन. (1986). *एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एन्थ्रोपोलोजी,* फिफ्थ नेशनल इंप्रेशन 1990. दरियागंज, नई दिल्ली : नेशनल पब्लिशिंग हाउस.

मर्डोक, जॉर्ज पी. (1949). सोशल स्ट्रक्चर. न्यूयॉर्क : मेक्मिलन.

नंदा, सेरेना एंड रिचर्ड एल. वॉर्म्स. (2011). *कल्चरल एन्थ्रोपोलोजी.* 10वां संस्करण, यूनाइटेड किंग्डमः वर्ड्सवर्थ सेंगेज लर्निंग.

पारकिन, रॉबर्ट एंड लिंडा स्टोन. संपा. (2004). *किनशिप एंड फेमिली : एन एंथ्रोपोलोजिकल रीडर,* यूएसएः ब्लेकवेल पब्लिशिंग लिमिटेड.

रॉयल एंथ्रोपोलोजिकल इन्स्टिट्यूट. (1951). *नोट्स एंड क्वेरीज ऑन एन्थ्रोपोलोजी.* छठा संस्करण. लन्दन : राउटलेड्ज एंड कीगेन.

वेस्टरमार्क, एड्वर्ड. (1922). *द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज.* द एलरटन बुक कंपनी.

6.6 आपकी प्रगति जांचने हेतु उत्तर

1. क. जन्म द्वारा ख. विवाह द्वारा
2. रक्त संबधं
3. आत्मीय संबंध
4. खंड 6.1.2 को देखें
5. खंड 6.1.2 को देखें
6. खंड 6.1.3 को देखें
7. खंड 6.1.4 को देखें
8. खंड 6.1.4.1 एवं 6.1.4.2 को देखें
9. खंड 6.1.4.1 एवं 6.1.4.2 को देखें
10. खंड 6.1.5 को देखें
11. अभिविन्यास का परिवार और खरीद का परिवार
12. खंड 6.2.1 को देखें
13. खंड 6.2.1 को देखें
14. क. एकल विवाह प्रथा एवं ख. बहु–विवाह
15. खंड 6.3.2.1 को देखें
16. बहुपत्नीत्व, बहुपतित्व प्रथा, बहु–यौन संबंध प्रथा
17. खंड 6.3.3.1 को देखें
18. खंड 6.3.3.2 को देखें